न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकडी जिला अजमेर

राजस्व वाद 06/2023 (2023/32)

1. बजरंग लाल पुत्र रूपनारायण जाति महाजन निवासी कणोज हाल निवासी केकड़ी तहसील केकडी जिला अजमेर

----प्रार्थी

♠ बनाम ♠

1. महावीर सिंह पुत्र गोपाल सिंह दत्तक पुत्र भंवरसिंह
2. रघुवीर सिंह पुत्र गोपाल सिंह जाति राजपूत निवासीगण कणाोज तहसील केकड़ी जिला अजमेर राजस्थान
3. श्रीमान तहसीलदार केकडी, तहसील केकडी जिला अजमेर

---अप्रार्थीगण

राजस्व प्रार्थना अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यू एक्ट

उपस्थित:-
श्री निर्मल चौधरी :- अधिवक्ता प्रार्थी
पैराकार सरकार :- जरिये तहसीलदार केकडी

आदेश

दिनांक 18/5/23

पत्रावली आज प्रशासन गांवो के संग अभियान 2023 केम्प कणोज में पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। पेरोकार सरकार जरिये तहसीलदार केकडी उपस्थित। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज. लैण्ड रेवेन्यु एक्ट के तहत प्रार्थनापत्र में आराजीयात वाके ग्राम कणोज तहसील केकडी जिला अजमेर में स्थित है जिसका विवरण निम्न प्रकार है-

खाता संख्या नया-पुराना	खसरा नम्बर	रकबा	किस्म
292-298	2091	0.58	बारानी 1
	कुल किता 1	कुल रकबा 0.58 हैक्टर	

उक्त वर्णित आराजीयात प्रार्थी की खातेदारी की आराजीयात है जो राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी के नाम दर्ज चली आ रही है एवं प्रार्थी के कब्जे स्वामित्व की आराजीयात है। प्रार्थी की उक्त आराजीयात के सीमा चिन्ह खुर्द-बुर्द हो गये है तथा पडोसियों से आये दिन कब्जे काश्त को लेकर लडाई झगडा होते है। अप्रार्थीगण अवैध व गैर कानूनी तरीके से कब्जा करने की नियत रखते है जिससे यह प्रार्थनापत्र पेश करना लाजमी आया है। दिनांक 12.06.2022 को प्रार्थी अपनी आराजीयात पर सिमेन्ट के खम्बे गाडने गया तो खम्बे नही गाडने दिये और प्रार्थी के साथ गाली गलोच करने लग गये तथा कब्जा काश्त में बाधा उत्पन्न की व सीमा चिन्ह नही होने की धमकी दी। अतः प्रार्थी का प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थनापत्र वर्णित आराजीयात की पत्थरगढी किये जाने के आदेश प्रदान करने का निवेदन किया गया है।

प्रकरण श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 बावजूद सम्मन तामील अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थी पैरोकार सरकार जरिये तहसीलदार केकडी द्वारा जवाब सरकार की टिप्पणी अंकित की गई जिसके अनुसार प्रार्थनापत्र में वर्णित आराजी खातेदारी में दर्ज है, राजहित प्रभावित नही होता है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। उपस्थित पक्षकारान की बहस सुनी जाकर बहस पर मनन किया। प्रार्थी, प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी के खातेदार काश्तकार है। खातेदार काश्तकार को स्वयं की खातेदारी आराजीयात की पत्थरगढी करवाने के हक अधिकार है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढी अन्तर्गत धारा 128 भू.रा.अधि. के तहत स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार केकडी वाके ग्राम कणोज तहसील केकडी की जमाबन्दी के खाता संख्या नया-पुराना 292-298 में दर्ज खसरा नम्बर 2091 रकबा 0.58 हैक्टर की पत्थरगढी प्रार्थी द्वारा नियमानुसार पत्थरगढी शुल्क जमा कराने पर कार्मिकों की टीम गठित करके की जावें। खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करें।

आदेश मेरे द्वारा लिखाया जाकर प्रशासन गांवो के संग अभियान केम्प कणोज में मजमें आम सुनाया गया।

(विकास पचोली)
उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी केकड़ी अजमेर

Scanned with OKEN Scanner